1339|24 पी०
16-11-2019

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक,निगरानी,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 547 / 32-1-2(जी.आई.एस.) देहरादून, दिनांकः 30 सितम्बर, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार)।

विषय :– मोटर मार्गों का निकटतम राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण का नाम तथा राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक 1259/10एम0जी0 दिनांक 11–09–2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटरमार्ग का मेलगढी से पाण्डवगांव तक विस्तार तथा पिलखी नैल बौंसला वनचुरी मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव हेतु के0एम0एल0 फाईल पौलिगन को तैयार कर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र की केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी क्रमशः 29.5 कि0मी0, 35.7 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

28/9/19
मुख्य वन संरक्षक,
निगरानी,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

स0 390 (III)
16.11.19

प्रारुप–26

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य । (लम्बाई–6.825 कि0मी0)

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

लागू नही

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।

ह0/–
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रारुप–27

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य । (लम्बाई–6.825 कि0मी0)

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

लागू नही

(नोटः–लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)